आवंटन/नीलामी तिथि
15 फरवरी 2018
प्रातः 11:00 बजे

हमारा प्रयास आपका आवास

परिषद के मेरठ जोन के अन्तर्गत मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, खतौली तथा बड़ौत में आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी स्थल : सेक्टर-3, सामुदायिक केन्द्र, जागृति विहार, मेरठ

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रू0 लाख में)
शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ यो.सं.–8), सहारनपुर: 81–170 वर्गमी0 तक आवासीय भूखण्ड (01 नग)				
3B-135	243.00	12320.00	29.94	1.50
शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ यो.सं.–8), सहारनपुर: 65/200 प्रकार सेमी फिनिश्ड उच्च आय वर्ग भवन (01 नग)				
3D-136 (GEN)(C) Suraksha Sainik	268.50	----	49.26	2.47
शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ यो.सं.–8), सहारनपुर: 67/162 प्रकार सेमी फिनिश्ड उच्च आय वर्ग भवन (01 नग)				
3D-48 (OBC) (C)	189.62		38.45	1.93
अशोक विहार योजना, खतौली: 80 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय भूखण्ड (01 नग)				
A-129	264.00	7840.00	20.70	1.04

नोटः- आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण प्रमाण–पत्र) अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

शास्त्रीनगर योजना संख्या–3, मेरठ : 80 वर्ग मी0 से अधिक के आवासीय भूखण्ड (01 नग)				
L-685 (GEN)	642.12	23520.00	15102662	1510266

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियाँ

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रू. लाख में)
मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या–1, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर–1 (08 नग)				
473, 475, 477, CP-481, CP SS-1(GEN)(C),CP-SS-2(GEN) CP SS-3(GEN),CP SS-4(GEN)(C)	199.87 से 388.50	71680.00 से 78848.00	14612685.00 से 27847680.00	1461268.00 से 2784768.00
मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या–1, मेरठ : नव विकसित व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर–2 (03 नग)				
SCP-2/1 (GEN)	48.24	71680.00	3457843.00	345784.00
SCP-2/2 (GEN)	45.15	71680.00	3236352.00	323635.00
SCP-2/3 (GEN)	56.61	71680.00	4057805.00	405780.00
ट्रांसपोर्ट नगर, योजना संख्या–2, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)				
A-94	315.19	31360.00	9884358.00	988436.00
शास्त्रीनगर, योजना संख्या–3, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड आई ब्लाक (08 नग)				
सी0पी0 L-1001 (C)	461.25	51744.00	23866920.00	2386692.00
सी0पी0 L-1002 (C)	322.87	47040.00	15187805.00	1518780.00
IS-116	156.00	47040.00	7338240.00	733824.00
IS-116/2	128.00	47040.00	6021120.00	602112.00
IS-132 (C)	292.00	51744.00	15109248.00	1510925.00
IS-183	227.00	47040.00	10678080.00	1067808.00
IS-184	181.60	47040.00	8542464.00	854246.00
L-1185/2 (C)	77.76	51744.00	4023613.00	402361.00

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत उपविधि अनुसार तथा अधिकतम ऊँचाई 10.50 मी. है।

शास्त्रीनगर, योजना संख्या–3, मेरठ : दुकानें के–ब्लाक (12 नग)				
K-1	8.062	---------	1105770.00	110577.00
K-2, 3, 4, 10, 12, 15, 16	9.099	---------	1248200.00	124820.00
K-17, 18, 22, 25	8.131	---------	1115232.00	111523.00
माधवपुरम, योजना संख्या–10, मेरठ : नर्सिंग होम भूखण्ड (01 नग)				
1NH-01 (C)	374.85	24024.00	9005396.00	900540.00
माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ: 80 वर्गमी0 तक व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर–1 (10 नग)				
1/CP-6 (GEN), 1/CP-8 (GEN), 1/CP-9 (GEN), 1/CP-10 (GEN) 1/CP-11 (GEN), 1/CP-12 (GEN), 1/CP-15 (GEN), 1/CP-16 (GEN), 1/CP-19 (GEN), 1/CP-20 (GEN)	78.00	29120.00	2271360.00	227136.00
माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ: 100 से 300 वर्गमी0 तक व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर–1 (09 नग)				
1/CP-13 (C) (GEN), 1/CP-17 (C) (GEN), 1/CP-18 (C) (GEN), 1/CP-21 (C) (GEN), 1/CP-14 (C) (GEN), 1/CP-4 (C) (GEN), 1/CP-2 (GEN), 1/CP-3 (GEN), 1/CP-5 (C) (GEN)	110.50 से 292.50	29120.00 से 32032.00	3539536.00 से 9369360.00	353954.00 से 936936.00
माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ: 301 वर्गमी0 से बड़े व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर–1 (07 नग)				
1/CP-1 (C) (GEN), 1/CP-22 (GEN), 1/CP-23 (C) (GEN), 1/CP-27 (GEN), 1/CP-24 (C) (GEN), 1/CP-26 (GEN), 1/CP-25 (C) (GEN)	315.70 से 737.10	29120.00 से 32032.00	9207744.00 से 23610787.00	920774.00 से 2361079.00
पठानपुरा योजना संख्या–1 (विवेक नगर), सहारनपुर : दुकान (02 नग)				
S-19	9.62	--------	5.28	0.53
S-20	14.196	--------	7.68	0.77
शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या–8), सहारनपुर : व्यावसायिक भूखण्ड (07 नग)				
3D/CP-01 (C), CP-02, CP-03, CP-04,CP-05, CP-06,CP-07(C)	321.30 से 511.12	24640.00 से 27104.00	79.17 से 138.54	7.92 से 13.86

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.75, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार है।

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या–8), सहारनपुर : प्रीमियम हाउस भूखण्ड (01 नग)				
3D-08	300.00	18480.00	55.44	5.55

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.50, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 55% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार है।

नोट :– प्रीमियम हाउसेज भूखण्डों (प्री0हा0भू0) में भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लेकर उनके भू–तल पर ही व्यवसायिक गतिविधियाँ निम्न प्रतिबन्धों के साथ एवं तत्समय लागू नियमों के अनुसार अनुमन्य की जा सकती है। (क) भूखण्डों में सब डिविजन/विक्रय अनुमन्य नहीं होगा। (ख) भविष्य में भू–तल पर व्यावसायिक गतिविधियों हेतु स्वंय के अतिरिक्त की दशा में अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। (ग) प्रीमियम भूखण्डों में मानचित्र स्वीकृति शुल्क व पार्किंग की गणना प्रस्तावित आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल के सापेक्ष परिषद के नियमानुसार अलग–अलग गणना की जायेगी। (घ) इन भूखण्डों में केवल तीन तल ही अनुमन्य होंगे व बेसमेन्ट की गणना तलों में की जायेगी, केवल भू–तल पर ही व्यावसायिक प्रयोग अनुमन्य होगा। बेसमेन्ट प्रयोग केवल भण्डारण/पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा। (च) भविष्य में क्रय योग्य एफ0ए0आर0 इन भूखण्डों पर अनुमन्य नहीं होगा।

अशोक विहार योजना, खतौली : व्यावसायिक भूखण्ड (10 नग)				
B-Com-2, Com-3, Com-4, Com-5(C), Com-6(C), Com-7, Com-8, Com-9, D/COM-01 (C), D/COM-02 (C)	78.20 से 882.20	19190.00 से 21110.00	15.07 से 186.24	1.51 से 18.63

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.20, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार है।

नोट :– उपरोक्त समस्त सम्पत्तियों में एफ0ए0आर0, अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज एवं अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है। तालिका में उल्लिखित भूमिदर / मूल्य वर्तमान में प्रभावी भूमिदर के आधार पर आगणित है। पात्रता चयन के उपरान्त भूमिदरों में वृद्धि की दशा में नीलामी की दिनांक को प्रभावी भूमिदरों के आधार पर मूल्य निर्धारित होगा तथा तद्नुसार भुगतान करना होगा। पंजीकरण पुस्तिका सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय से रू0 1000.00 के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। निर्धारत आवेदन पूर्ण कर अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रपत्रों सहित तथा आवेदन शुल्क रू0 1000.00 का बैंक ड्राफ्ट, जो **उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, के नाम तथा सम्बन्धित शहर** पर देय संलग्न कर सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय पर जमा कर सकते हैं। अपूर्ण तथा निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

चबूतरे/दुकानें (विस्थापित): वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी में दुकानों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य सहमति के आधार पर लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन उपरोक्त दिनांक एवं स्थल पर किया जायेगा। परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दुकानों का आवंटन मूल मूल्यांकन की पद्धति (दुकानों का निर्माण मूल्य स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार व वर्तमान भूमि दर लेकर) के अनुसार आवंटित की जायेगी। **नोटः-** (1) उपरोक्त अनावासीय भूखण्डों (नवविकसित) के भौतिक कब्जे के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी स्थानीय कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नियम व शर्तेः- (1) आवेदन/सील्ड बिड फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से रू. 100/– जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। (2) आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर, जो **''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद''** के नाम तथा सम्बन्धित शहर में देय हो, आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ–पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक संबंधित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (3) जाति प्रमाण–पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये। (4) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण तथा नियम/शर्तो की जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं परिषद की वेबसाइट http:// www.upavp.com पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (5) किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नोटः- आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। (C) चिन्ह कार्नर सम्पत्ति का द्योतक है।

शिक्षण संस्थाओं के भूखण्ड, जिनका पंजीकरण खोला जाना है। (आवंटन लीज पर)

भूखण्ड संख्या	स्कूल का स्तर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	वर्तमान आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	स्कूल भूखण्ड का कुल मूल्य (रू.लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रू. लाख में)
शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर : स्कूल भूखण्ड (लीज पर) (01 नग)					
SCHOOL (C)	PRIMARY	1844.94	13310.00	245.57	24.56

नोट :- उक्त स्कूल भूखण्ड के विरूद्ध दो संस्थाओं से पूर्व में ही आवेदन प्राप्त हैं। अतः आगामी नीलामी तिथि को इन दो संस्थाओं के मध्य नीलामी करायी जायेगी।

अशोक विहार योजना, खतौली : स्कूल भूखण्ड (लीज पर) (02 नग)					
A-SCH-01 (C)	PRIMARY	1001.7	8470.00	84.85	8.49
D/SCH-02 (C)	NURSERY	599.37	8470.00	50.77	5.08

तालिका में उल्लिखित मूल्य पंजीकरण धनराशि के निर्धारण हेतु ही है। आवंटन तिथि/आवंटन पत्र निर्गत तिथि पर लागू भूमि दर के अनुसार विद्यालय को भूखण्ड का मूल्य देना होगा। उक्त आरक्षित भूमि दर में 10 प्रतिशत लीज रेन्ट व 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क शामिल है। पंजीकरण पुस्तिका सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, पुरानी आवास विकास कालोनी, सहारनपुर से रू0 1000/– में क्रय कर विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 5000/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि **''उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद'', देयक सहारनपुर** के पक्ष में देय हो, के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सहारनपुर में जमा करना होगा तथा पात्र आवेदकों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पंजीकृत डाक द्वारा सूचना नीलामी तिथि निर्धारित होने पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सहारनपुर द्वारा दी जायेगी।

भूखण्ड संख्या / सैक्टर / स्कूल भूखण्ड का स्तर	क्षेत्रफल (व.मी. में)	वर्तमान भूमि दर+लीजरेंट+ कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में) प्र0व0मी0	भूखण्ड का मूल्य	पंजीकरण धनराशि (रू. लाख में)
माधवपुरम योजना संख्या–10 मेरठ : शैक्षिक भूखण्ड (03 नग)				
3NS-1 Primary, (Sec. 3)	1691.70	13000+1300+1300 = 15600/-	26390520.00	2639052.00
3NS-3 Nursery (Sec. 3)	894.00	13000+1300+1300 = 15600/-	13946400.00	1394640.00
Primary (Sec. 4)	1575.00	13000+1300+1300 = 15600/-	24570000.00	2457000.00
जागृति विहार, योजना संख्या–11, (विस्तार) मेरठ : सेक्टर– 4, नवविकसित स्कूल भूखण्ड (02 नग)				
4/01(C)(Sec. 4), Inter	3327.40	7500+750+750 = 9000/-	29946600.00	2994670.00
4/02(C)(Sec. 4), Nursery	495.00	7500+750+750 = 9000/-	4455000.00	445500.00

नोट :- शैक्षिक भूखण्डों हेतु प्रकाशन तिथि से एक माह तक आवेदन पत्र प्राप्त तथा जमा किये जा सकते हैं।

वसुन्धरा योजना/सिद्धार्थ विहार/मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

भूखण्ड संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर (रू.) प्र.व.मी.	टोकन धनराशि (रू.)
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ				
व्यावसायिक 13/C-21 (अनारक्षित)	1	250.00	109312.00	2732800.00
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद सेक्टर–15 शिखर एन्क्लेव : आवासीय सम्पत्तियाँ				
2BHK (छठे तल से नवें तल तक)(अनारक्षित)	12	106.21	7295000.00	364800.00
3BHK (प्रथम तल) (अनारक्षित)	4	144.48	10524000.00	526200.00
3BHK (पंचम तल) (अनारक्षित)		144.48	9923000.00	496200.00
3BHK (छठां तल) (अनारक्षित)		144.48	9923000.00	496200.00
3BHK (नवां तल) (अनारक्षित)		144.48	9923000.00	496200.00
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद सेक्टर–4सी : एफ–37 प्रकार की 4 मंजिले दुर्बल आय वर्ग सम्पत्तियाँ				
F-37 4C/3220 (द्वितीय तल)(अनारक्षित)	--	37.00	1844000.00	92200.00
4C/4222 (तृतीय तल) (अनारक्षित)	--	37.00	1783000.00	89200.00
सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ				
व्यवसायिक भूखण्ड (अनारक्षित) 7C/COM-10, COM-13, COM-20, COM-21, COM-22, COM-23, COM-24,	7	440.00 से 579.50	84448.00	3715800.00 से 4893800.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड				
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (अनारक्षित) 1B/GH-11,GH-16,GH-17,GH-30,GH-31	5	2400.00 से 3060.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13006250.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (अनारक्षित) 1B/GH-21	1	2400.00	38640.00	9273600.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (अनारक्षित) 1B/GH-5, GH-12, GH-13, GH-14, GH-18, GH-24, GH-25, GH-28	8	2400.00 से 3060.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13006250.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (अनारक्षित) 1B/GH-6, GH-7, GH-8, GH-9, GH-15, GH-19, GH-20, GH-22, GH-23, GH-27, GH-29, GH-32	12	2400.00 से 3180.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13516300.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : व्यावसायिक भूखण्ड				
व्यावसायिक भूखण्ड (अनारक्षित) 1B/COM-14, COM-16, COM-25, COM-29, COM-31	5	892.50 से 2432.00	51520.00 से 56672.00	4598160.00 से 13782650.00
व्यावसायिक भूखण्ड (अनारक्षित) 1B/COM-13, COM-15, COM-17, COM-24, COM-26	5	892.50 से 2380.00	51520.00	4598160.00 से 12261800.00
व्यावसायिक भूखण्ड (अनारक्षित) 1B/COM-1, COM-18, COM-19, COM-20, COM-21, COM-22, COM-23, COM-27, COM-28, COM-30	10	892.50 से 4252.83	51520.00 से 56672.00	4598160.00 से 24101640.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : व्यावसायिक हॉल				
व्यावसायिक हॉल (अनारक्षित) 4A/H-1, 4A/H-2	2	86.82 से 96.09	5386000.00 से 5961000.00	538600.00 से 596100.00
व्यावसायिक हॉल (अनारक्षित)5/H-1	1	62.92	4324000.00	432400.00
सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में ब्रहमपुत्र एन्क्लेव में रिक्त 4 मंजिले भवनों की नीलामी हेतु विवरण				
(भूतल) (अनारक्षित) 07/B-03/104, 07/B-12/104, 07/B-14/104, 10/B-04/103, 10/B-24/103, 10/B-34/104, 10/B-58/103	7	47.73	24.16 Lacs	121000.00
(प्रथम तल) (अनारक्षित) 10/B-23/204,10/B-29/203, 10/B-70/204, 10/B-72/201, 10/B-75/203	5	47.73	20.53 Lacs	103000.00
(द्वितीय तल) (अनारक्षित) 07/B-03/304, 07/B-08/304, 07/B-12A/301, 07/B-10/304, 07/B-19/303, 07/B-28/303, 07/B-40/302, 10/B-15/303, 10/B-20/304, 10/B-27/302, 10/B-38/301, 10/B-39/302, 10/B-42/304, 10/B-55/301, 10/B-58/301, 10/B-60/304, 10/B-66/301, 10/B-67/304, 10/B-68/304, 10/B-74/301, 10/B-77/302, 10/B-79/303 10/B-58/304	23	47.73	20.12 Lacs	101000.00
(तृतीय तल) (अनारक्षित) 07/B-04/403, 07/B-04/404, 07/B-05/401, 07/B-20/402, 07/B-21/403, 07/B-36/401, 10/B-47/403, 10/B-03/404, 10/B-07/404, 10/B-11/402, 10/B-19/402, 10/B-24/402, 10/B-25/402, 10/B-27/403, 10/B-29/401, 10/B-31/403, 10/B-32/404, 10/B-33/402, 10/B-35/403, 10/B-36/401, 10/B-37/403, 10/B-40/401, 10/B-50/403, 10/B-53/404, 10/B-56/401, 10/B-64/401, 10/B-74/401, 10/B-84/404, 7/B-09/404, 7/B-22/403, 7/B-38/404	31	47.73	19.72 Lacs	99000.00

नोटः- शिखर एन्क्लेव में अंकित मूल्य के अतिरिक्त पार्किंग व्यय, कार्पस फण्ड एवं विविध शुल्क की धनराशि अलग से देय होगी, जिसकी जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः- सम्पत्तियों की एफ0ए0आर0 आदि की जानकारी वास्तुविद नियोजक इकाई–5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 नं0–487/2016 में पारित आदेशों के अनुपालन में वर्तमान दरों पर विस्थापित श्रेणी में पंजीकृत को लाटरी से आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

विशेष सूचनाः- परिषद के आवंटियों/ग्राहकों की शिकायतों/ समस्याओं के निस्तारण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को 'परिषद दिवस' का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10:00 से 12:30 तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

आवास आयुक्त

IS 15700:2005 सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
Website : http://www.upavp.in; E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया हमारी
टोल फ्री **1800-180-5333** दूरभाष **0522-2236803**
पर सम्पर्क करें या हमारी वेबसाइट **www.upavp.in** पर जायें।